

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर

प्रकीर्ण आदेश संख्या- /2023

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, अम्बेडकरनगर की सहमति से माह नवम्बर, 2023 के शेष दिनों से माह अप्रैल, 2024 तक अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारीगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित माह में रिमाण्ड कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है:-

| नाम अधिकारीगण | माह |
|---|---|
| श्री अभिषेक सिंह, सिविल जज (जू०डि०) त्वरित प्रथम/जे०एम०, अम्बेडकरनगर। | नवम्बर, 2023 |
| श्रीमती मेघा चौधरी, सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, अम्बेडकरनगर। एवं श्री राजन राठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर। | दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 25.12.2023 तक एवं दिनांक 26.12.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक |
| सुश्री गार्गी, सिविल जज (सी०डि०) त्वरित/ए०सी०जे०एम०, अम्बेडकरनगर। | जनवरी, 2024 |
| श्रीमती मेघा चौधरी, सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, अम्बेडकरनगर। | फरवरी, 2024 |
| श्री अभिषेक सिंह, सिविल जज (जू०डि०) त्वरित प्रथम/जे०एम०, अम्बेडकरनगर। | मार्च, 2024 |
| श्री राजन राठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर। | अप्रैल, 2024 |

यहाँ यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के मुख्यालय पर न रहने की दशा में प्रोटोकॉल का कार्य भी देखेंगे।

संबंधित न्यायिक अधिकारीगण सूचित हों।